जिला :– अररिया, बिहार।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट, अररिया।

उपस्थित–शशि भूषण कुमार,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
सह
विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट, अररिया।

(निर्णय तिथि–08वीं जून 2026)

(एस0टी0 वाद संख्या –226 / 2024)

(रजि0 सं0–226 / 2024)

(आरोप अंतर्गत धारा–304बी / 34 एवं 302 / 34 भा0दं0सं0)

राज्य द्वारा सूचक वकीला खातुन, पे0– मो0 नसीम

साकिन–डुमरिया, वार्ड–15, थाना– नरपतगंज, जिला–अररिया

....सूचक।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता– 1. श्री रजानंद पासवान (अपर लोक अभियोजक)

बनाम्

(1)–मो0 सनाउल्लाह, पे0– मो0 सनोवर, उम्र– 21 वर्ष (A1)

साकिन– दर्जी टोला, वार्ड–11, चौरा परवाहा, थाना– फारबिसगंज, जिला–अररिया

...............................अभियुक्त

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता– मो0 कमरूल इसलाम, विद्वान अधिवक्ता, अररिया।

फार्म–B

प्राथमिकी की तिथि–	18.11.2023
आरोप पत्र की तिथि–	29.02.2024
आरोप का गठन की तिथि–	25.06.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि–	10.07.2024
अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि–	20.05.2026
धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान की तिथि–	26.05.2026
निर्णय संरक्षित करने की तिथि–	05.06.2026
निर्णय की तिथि–	08.06.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि है तो–	नहीं

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप	दोषमुक्ति / दोषसिद्धि	दण्ड की मात्रा	धारा 428 द0प्र0सं0 के उद्देश्यों के लिये, विचारण के दौरान अभिरक्षा– अवधि
A1	मो0 सनाउल्लाह	11.12.2023	काराधीन	304बी / 34, 302 / 34 भा0दं0सं0	दोषमुक्त		

फार्म–C

अभियोजन पक्ष के साक्षी–

साक्षी की श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
अभियोजन साक्षी सं0–1	सलीम अखतर	साक्षी
अभियोजन साक्षी सं0–2	मो0 परवेज	साक्षी
अभियोजन साक्षी सं0–3	वकीला खातुन	सूचिका
अभियोजन साक्षी सं0–4	नरेन्द्र कुमार प्रसाद	अनुसंधानकर्ता
अभियोजन साक्षी सं0–5	डॉ0 मिथिलेश कुमार	चिकित्सक साक्षी

दस्तावेजी साक्ष्यः–

कमांक	प्रदर्श	दस्तावेज
01	प्रदर्श–1	आरोप–पत्र
02	प्रदर्श–2	औपचारिक प्राथमिकी
03	प्रदर्श–3	लिखित आवेदन पर पंजीयन
04	प्रदर्श–4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट

<u>निर्णय</u>

01. उपरोक्त नामित अभियुक्त **1. मो0 सनाउल्लाह** (A1) को धारा 304बी / 34 एवं 302 / 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोपित एवं विचारित किया गया।

02. सूचक वकीला खातुन के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि वह दिनांक 13.07.2023 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ अपनी पुत्री रेशमी प्रवीण की शादी मो0 सनाउल्लाह के साथ करवाई थी। सूचिका के द्वारा उपहार में मोटरसाइकिल हेतु नगद राशि, चांदी का जेवर 50 भरी, सोना का जेवर 2 भरी के साथ बहुत सारा घर का सामान, बर्तन, कपड़ा भी दिया गया। इसके बाद मो0 सनाउल्लाह के द्वारा 1 लाख रूपया के लिए सूचिका की पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। सूचिका की पुत्री के पति सहित उसके ससुराल वाले 1 लाख रूपया देने

के लिए प्रताड़ित करने लगे तथा उसके साथ मारपीट करने लगे। दिनांक 17.11. 2023 को रात्रि 02 बजे मो0 सनाउल्लाह उसे फोन करके बताया कि रेशमी प्रवीण को हमलोग मारे तो मर गई। सूचना पाकर सूचिका अन्य लोगों के साथ अपनी पुत्री के ससुराल गई तथा उसकी लाश को देखी तथा उसके ससुराल वाले घर छोड़कर भाग गए थे।

03. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304बी भा0दं0सं0 के अंतर्गत फारबिसगंज थाना काण्ड संख्या– 1035/2023 दिनांक– 18.11.2023 दर्ज किया गया। सम्यक अन्वेषण के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी द्वारा आरोप पत्र संख्या–138/2024, दिनांक–29.02.2024 अंतर्गत धारा 304बी/34 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण के विरूद्ध दाखिल किया गया, जिसके आधार पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–18.03.2024 को उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र की धाराओं में ही संज्ञान लिया गया।

04. इस न्यायालय में अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण होने पर दिनांक–25.06.2024 को धारा 304बी/34 एवं 302/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया।

05. अभियोजन द्वारा अपनी ओर से कुल 05 मौखिक साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा आरोप पत्र को प्रदर्श–1, औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श–2, लिखित आवेदन पर पंजीयन को प्रदर्श–3 एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श–4 अंकित कराया गया है। दिनांक–20.05.2026 को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया गया तथा दिनांक–26.05.2026 को धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया, जिमसें उसने स्वयं को निर्दोष बताया है।

06. दिनांक–26.05.2026 को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर सफाई साक्ष्य बंद कर दोनों पक्षों का बहस सुना गया। दिनांक–05.06.2026 को दोनों पक्षों का बहस पूर्ण हुआ।

07. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अपने द्वारा लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

:– मंतव्य –:

08. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में 05 मौखिक साक्षियों **PW-01** सलीम अखतर, **PW-02** मो0 परवेज, **PW-03** वकीला खातुन (सूचक), **PW-04** नरेन्द्र कुमार प्रसाद(अनुसंधानकर्ता) एवं **PW-05** डॉ0 मिथिलेश कुमार(चिकित्सक) का साक्ष्य

प्रस्तुत किया गया है। इसके विपरीत बचाव पक्ष द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

09. सर्वप्रथम सूचक वकीला खातुन (PW-03) के साक्ष्य का विश्लेषण किया जायेगा। उन्होने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथित किया है कि रेशमी प्रवीण उसकी बेटी है। रेशमी प्रवीण का निकाह सनाउल्लाह से करायी थी। निकाह में डेढ़ लाख रूपया, चार अना सोना और सारा सामान दिये थे। उसकी बेटी ससुराल में रहती थी। ससुराल में उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था, पता नहीं है। सनाउल्लाह फोन किया कि आपकी बेटी मर गयी है। सनाउल्लाह रूपया पैसा का मांग करता था, हम बोले कि हम गरीब है, रूपया पैसा कहां से लाएंगे। सनाउल्लाह जब फोन किया कि तुम्हारी बेटी मर गयी है, तो वह वहां थी। जब वहां पहुंची तो देखी कि उसकी बेटी मरी हुई है। आवेदन टाईप करवाकर फारबिसगंज थाना में दिया था। वह जो बोली वह टाईप किया था, उसे पढ़कर सुना दिया था, तब वह उस पर छाप दी थी। उसके बाद पुलिस उसकी बेटी के ससुराल में गयी थी और पोस्टमोर्टम के लिए ले गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस उससे पूछताछ की थी। पुलिस उससे उसी दिन पूछताछ किया, उसके बाद पुलिस उसकी बेटी के ससुराल गयी कि नहीं, वह नहीं कह सकती है। सनाउल्लाह हो पहचानती है, अभी वह जेल में है।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसकी बेटी निकाह के बाद अपने ससुराल में रहती थी। वहां सास–ससुर और शौहर से अच्छा रिश्ता था। वह अर्थात साक्षी वहां कभी–कभार जाती थी। जब भी वह जाती थी तो देखती थी कि उसकी बेटी अच्छे से रहती थी। उसके साथ दहेज के लिए मारपीट नहीं होता था और कोई शिकायत भी नहीं होता था। उसकी बेटी के मरने का खबर उसका दामाद सनउल्लाह किया। उसके बाद वह, उसके भैंसूर मो0 कासिम, मो0 हासिम और गांव समाज के लोग गए थे। वहां हम देखे कि उसकी बेटी की लाश पलंग पर पड़ी हुई है। उसके शरीर पर किसी भाग पर कोई जख्म नहीं देखी। वहां पर गांव का लोग भी जमा हो गया था। गांव के लोगों के कहने पर ही वह मुकदमा की थी। दूसरे पर हम आरोप नहीं डालेंगे। वह नहीं देखी कि उसकी बेटी को सनाउल्लाह मारा है कि नहीं, सुनी–सुनाई बात पर उसने केस किया था। मुकदमा के बाद उसे मालूम हुआ कि सनाउल्लाह और अन्य लोग गलत फंस गए है और निर्दोष हैं। जब यह बात मालूम हुआ तो इस मुकदमा में वह मेल–मिलाप कर ली कि कोई निर्दोष आदमी परेशान न हो। मेल का दरखास्त कोर्ट में दी है। राजी खुशी से मेल–मिलाप किये है। पढ़कर सुना दिया तब जाकर वह उस पर छाप दी है। थाना में जो दरखास्त दिये थे वह थानेदार टाईप किया था, उसमें क्या टाईप किया था, वह नहीं कह सकती है। उसका उसी थाना में अंगूठा का निशान ले लिया था। आज जो बयान वह न्यायालय में दी है, वही बयान पुलिस के समक्ष भी दी थी। लाश का मिट्‌टी उसके घर पर हुआ। गवाह सज्जाद, अमीन, हुसैन, हासिम ये लोग बाहर के गवाह हैं। वह नहीं कह सकती है कि,

इन लोगों में कौन गवाही देगा। वह मुकदमा नही चलाना चाहती है, समाप्त करना चाहती है।

10. **PW-01** सलीम अखतर नें अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि सनाउल्लाह का नया–नया शादी हुआ था, डुमरिया में शादी हुआ था। सनाउल्लाह के ससुर का नाम सनोवर है। 5–6–7 महीना पहले लड़की का निकाह सनाउल्लाह के साथ हुआ था। घटना का करीब साल भर हुआ है। घटना के दिन वह समधी के यहां गया था और सबेरे में घटना के संबंध में पता चला था। दो–अढ़ाई–तीन बजे वह घर आया था, जब तक वह आया तब तक लाश पोस्टमार्टम में चला गया था। वह लाश को नहीं देखा था। लोग सब कह रहा था। केस होने के बाद पुलिस उसके गांव में आयी थी और जांच–पड़ताल किया था और सभी लोग से पूछताछ किया था लेकिन उससे पूछताछ नहीं किया था। मो0 सनाउल्लाह को पहचानता है जो अभी जेल में है।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि असामी सनाउल्लाह उसके पड़ोस का है, इसलिये पहचानता है। जबसे शादी होकर आयी थी वह कभी भी झगड़ा–झंझट के बारे में नहीं सुना था। सनाउल्लाह या उसके परिवार के साथ भी झगड़ा की बात वह नहीं सुने थे। उनलोगों के बीच आपस में बहुत प्रेम था। अचानक सनाउल्लाह की बीबी रेशमी प्रवीण की मृत्यु हो गयी। खबर मिलने पर बीबी रेशमी प्रवीण की मॉ उसके घर पर आयी थी। रेशमी प्रवीण की मॉ पड़ोस के लोगों के बहकावे में आकर गलत मुकदमा सनाउल्लाह व उसके परिवार पर कर दिया। इस घटना से सनाउल्लाह व उसके परिवार का कोई लेना–देना नहीं है और निर्दोष है। नोटिस मिलने पर मैं आज न्यायालय आया है और सही–सही बातों का गवाही दे रहा है।

11. **PW-02** मो0 परवेज नें अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि केस की सूचिका वकीला खातुन को पहचानता है। सनउल्लाह असामी को भी पहचानता है, जो पड़ोसी है। सनउल्लाह की पत्नी रेशमी प्रवीण को भी जानता है, रेशमी प्रवीण की शादी सनउल्लाह के साथ करीब डेढ़ साल पूर्व हुई थी। शादी के पांच–छह महीना के बाद की घटना है, रात्रि की घटना है। सनउल्लाह के यहॉ हल्ला–गुल्ला हुआ था, रेशमी प्रवीण भी वहीं पर रहती थी। जब वह हल्ला पर गया तो उस वक्त पुलिस लाश को अपने कब्जे में ले लिया था। वहॉ पर लोग सब बोल रहा था कि रेशमी प्रवीण मर गयी है। पुलिस लाश का कागज बनाया था, रेशमी प्रवीण की मॉ वहॉ पर पहुॅची थी। पुलिस उससे पूछताछ नहीं किया था।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसका घर व सनउल्लाह का घर पड़ोस में है, इसलिये पहचानते है। रेशमी प्रवीण सनउल्लाह की बीबी थी इसलिये उसको भी पहचानते है। सनउल्लाह और उसकी बीबी रेशमी प्रवीण के बीच अच्छा संबंध था और कभी भी झंझट होते हुये वह नहीं देखे थे और न ही सुने थे। रेशमी प्रवीण की मॉ वकीला खातुन डुमरिया गांव में है, जो उसके गांव से 7–8 किलोमीटर की दूरी पर है। वकीला खातुन भी बराबर अपनी बेटी से मिलने के

लिये घर पर आती थी इसलिये उसे भी पहचानते है। वकीला खातुन ने अपनी बेटी व दामाद के बारे में कभी उससे कोई शिकायत नहीं की थी और हमेशा कहती थी कि अच्छा संबंध है और ठीक से रहती है। घटना के बाद वकीला खातुन सनउल्लाह के घर पर आयी थी और विरोधी आदमी गलत बात बताकर वकीला से केस करवा दिया। सनउल्लाह कभी भी मृतका के साथ कोई घटना नहीं किया और न ही उसके परिवार के लोग कोई घटना किया। रेशमी प्रवीण भी इस बात की शिकायत कभी भी उसके पास नहीं की थी। वह जिस समय उसके घर पर पहुंचा उस समय लाश को पोस्टमार्टम के लिये पुलिस के द्वारा भेज दिया गया था। सनउल्लाह की बीबी की मृत्यु कैसे हुई, न तो वह देखा है और न ही सुना है। यह मुकदमा वकीला खातुन की है, जो सनउल्लाह की सास व रेशमी की मॉ है। वकीला ने लोगों के बहकावे में आकर केस की है, उनके सामने कोई घटना नहीं हुई थी, सुनी–सुनायी बातों के आधार पर गलत केस की है।

12. **PW-04** नरेन्द्र कुमार प्रसाद जो इस केस के अनुसंधानर्ता हैं, नें अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि दिनांक 18.11.2023 को वह फारबिसगंज थाना में पदस्थापित था। फारबिसगंज थाना कांड सं0–1035/2023 के अनुसंधान का भार उसने 18.11.2023 को ग्रहण किया। उसके बाद प्राथमिकी को कांड दैनिकी में अंकित किया। उसके बाद वह वादिनी वकिला खातुन का पुनः बयान थाना पर लिया। उसके बाद साक्षी सज्जाद, साक्षी आमिर हुसैन, साक्षी मो0 हाशिम का बयान भी थाना पर ही लिया। पारा 07 प्रस्थान करने की तिथि 19:10 बजे वह लिखा वह भूलवश लिखा गया, वह 19:50 बजे चौरा प्रवाह वार्ड 11 के लिए प्रस्थान किया। वहां पर स्वतंत्र साक्षी परवेज का बयान लिया। स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन किया। पारा 10 में स्वतंत्र साक्षी सलीम का बयान लिया, इसने भी घटना का समर्थन किया। वादिनी एवं गवाहों के बताए अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस कांड का घटनास्थल थाना से साढ़े चार किमी दक्षिण स्थित चौरा परवाहा वार्ड 11 में स्थित अभियुक्त सनाहउल्लाह का उत्तर मुख का कमरा है, जहां पर मृतका रेशमी प्रवीन को दान–दहेज के लिए प्रताड़ित करने व जान से मार देने की बात बतायी गयी। घटनास्थल की चौहद्दी–उत्तर–मो0 अजहर का ईंट व टिन से निर्मित आवासीय घर, दक्षिण–मो0 जरवेश का पक्का का मकान, पूरब–मो0 कम्मो का मकई लगा खेत, पश्चिम–मो0 चांद का फुस टिन का घर है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पु0अ0नि0 सुबोध चौधरी के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे उसने कांड दैनिकी के पारा 25 में अंकित किया है। उसके बाद मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर पारा 26 में अंकित किया। जब इस कांड के संचिका का अवलोकन किया गया, तो पता चला कि इस कांड के अभियुक्त सनाहउल्लाह न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। उसके बाद पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त कर पारा 52 में अंकित किया। विशेष प्रतिवेदन–02 प्राप्त कर पारा 66 में अंकित किया। वादिनी, गवाहन एवं घटनास्थल के निरीक्षण, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में इस

कांड के नामित अभियुक्त सनाहउल्लाह के विरूद्ध दिनांक 29.02.2024 को आरोप पत्र सं0–138/24 अंतर्गत धारा 304बी/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत न्यायालय में समर्पित किया। आरोप पत्र मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, इसे पहचानता हूं, इसे प्रदर्श–01 अंकित किया जाता है। औपचारिक प्राथमिकी थाना लेखक के लिखावट में है, जिसमें तत्कालिन थाना प्रभारी मो0 आफताब अहमद का हस्ताक्षर है, इसे पहचानते हैं, इसे प्रदर्श–02 अंकित किया जाता है। कंप्यूटराईज्ड टंकित आवेदन पर फारबिसगंज थाना कांड सं0–1035/23 दिनांक 18.11.23 अंगर्तत धारा 304बी भा0द0वि0 के तहत पंजीकृत फारबिसगंज थाना प्रभारी मो0 आफताब आलम के द्वारा किया गया है, इनके लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचानता हूं, इसे प्रदर्श–03 अंकित किया जाता है।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि कांड का अनुसंधान भार ग्रहण करते समय उसे कागजात के रूप में एफआईआर और फर्दबयान की एक प्रति मिली। इसके अलावे उसे कोई कागजात नहीं मिला। उसने लाश को नहीं देखा था। पारा 01 से पारा 06 तक गवाहों के बयान वह थाना पर लिया और पार्श्व में समय का अंकन नहीं किया। पारा 09, 10 का बयान मैंने घटनास्थल पर लिया, पार्श्व में समय का अंकन नहीं किया। घटनास्थल की पहचान वादी एवं गवाहन ने कराया। घटनास्थल पर कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाने वाले पदाधिकारी का बयान वह नहीं लिया। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उसे थाना लेखक के माध्यम से प्राप्त हुआ था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की प्रति अभिलेख के साथ नहीं है। घटनास्थल का फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी उसे प्राप्त नहीं हुआ था। मृतका और उसके पति के साथ रहन–सहन के बारे में पता लगाये थे स्वतंत्र साक्षी से भी पता चला था कि मृतका के साथ दान–दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन इस संदर्भ में थाने में पूर्व से कोई शिकायत था कि नही, उसे जानकारी नहीं है। आसामी का आपराधिक इतिहास के बारे में वह नही लिखा है। रस्सी, फट्टा वगैरह घटनास्थल से बरामद नहीं हुआ था। थाना में एफआईआर दिनांक 18.11.23 को समय 19:15 को दर्ज हुआ था। वह अनुसंधान का भार उसी दिनांक और समय को ग्रहण किया। दिनांक 17.11.2023 की घटना बतायी गयी, लेकिन वह प्लॉट पर नहीं गया था। उसके द्वारा आसामी का गिरफ्तार नही किया गया। साक्षी नें विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए सुझावों को इनकार करते हुए कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि उसने त्रुटिपूर्ण अनुसंधान किया है।

13. PW-05 डॉ0 मिथिलेश कुमार जो इस केस की मृतिका का पोस्टमार्टम किया है, नें अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि 1. On 18.11.2023, He was posted at Sadar Hospital, Araria as medical officer. On that date on the requisition of police, He examined Reshmi Praveen, w/o- Sanaullah, R/o- Vill- Chauraha Parvaha, PS- Forbesganj, Dist- Araria and the above dead body brought by Chukidar no. 04/2

Munna Paswan and 4/7 Umesh Paswan. Dr. Karan Kumar was also present on that time as an observer and found following:-

External:-

I. Face congested.

II. Ligature mark (pressure abrasion) over whole neck with gap of approx 2cm on posterior aspect of left ear around 01 cm wide. On left angle of mendable up to right postero lateral aspect of neck (Prominent) and left angle of mandable to left posterior region (less prominent) Obliquily placed from right lateral neck toward left madibular angle and also oblic placement from right lateral towards left mastoid region posteriorly.

III. Abrasion on right middle finger approx 1/2 cmX1/2cm. Bruise over right lumber region approx 4cmX3cm.

On Dissection-

i. On opening the thorecic and abdominal cavity tracia found conjusted by lateral lungs congested.
ii. All other visseies found intact and insitu. Uterus non gravid. Cranium NAD.
iii. Time elapse since death and P.M. held within 24 hours.
iv. Death in our opinion is due to asphyxia as a result of hanging.
This Postmortem report is in my handwriting and it bears my signature. I also identify the signature of observer Dr. Karan Kumar. On identification this postmortem report has been marked as **Ext.4/PW-5.**

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कथित किया है कि मृतिका का शरीर पूरी तरह कपड़ा से ढ़का हुआ था जब उसे उसके समक्ष पोस्टमार्टम हेतु लाया गया था। मृत शरीर को 11:50 बजे सुबह लाया गया तथा पोस्टमार्टम 12:10 बजे किया गया। मृत शरीर के साथ रिक्वीजीशन मिला था। वह करीब 45 मिनट तक पोस्टमार्टम किया था। लीगेचर मार्क पीछे से गर्दन पर 2सेमी का गेप था। सामने से ऑबलीकली था। लीगेचर मार्क का चौड़ाई 01सेमी था तथा गैप 02 सेमी था। दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुली में खरोच का निशान पाया था जो शरीर को टांगने के दौरान भी हो सकता है। पेट पर दाहिने तरफ से जख्म का निशान था जो शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने अथवा चोट लगने के कारण हो सकता है। क्रेनियम में कोई कैविटी नहीं पाया। जिस समय पोस्टमार्टम किया गया उस समय से 24 घंटे के अंदर मृतिका की मृत्यु हो चुकी थी। कितनी देर बाद रिपोर्ट बनाया था यह याद नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अस्पताल का मोहर नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वह त्रुटिपूर्ण पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया हूं तथा सही से पोस्टमार्टम नहीं किया।

:— निष्कर्ष—:

14. दोनों पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन की तरफ से विद्वान लोक अभियोजक का तर्क यह है कि अभियोजन के सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि तथ्य के किसी भी गवाह नें घटना का पूर्ण समर्थन नहीं किया है। पी0डब्लू0–3 जो इस केस की सूचिका है, नें भी अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वह नहीं देखी कि उसकी बेटी को सनाउल्लाह मारा है कि नहीं, सुनी–सुनाई बात पर उसने केस किया था। मुकदमा के बाद उसे मालूम हुआ कि सनाउल्लाह और अन्य लोग गलत फंस गए है और निर्दोष हैं। जब यह बात मालूम हुआ तो इस मुकदमा में वह मेल–मिलाप कर ली कि कोई निर्दोष आदमी परेशान न हो। मेल का दरखास्त कोर्ट में दी है। राजी खुशी से मेल–मिलाप किये है। पढ़कर सुना दिया तब जाकर वह उस पर छाप दी है। तथ्य के अन्य गवाह पी0डब्लू0–1 एवं, पी0डब्लू0–2 नें भी अपने साक्ष्य में कथन किया है कि रेशमी प्रवीण की मॉ पड़ोस के लोगों के बहकावे में आकर गलत मुकदमा सनाउल्लाह व उसके परिवार पर कर दिया। इस घटना से सनाउल्लाह व उसके परिवार का कोई लेना–देना नहीं है और निर्दोष है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

12. अभियुक्तगण पर धारा 304बी / 34 एवं 302 / 34 भा0दं0सं0 का आरोप लगाया गया है। दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया है। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित / अंगूठा का निशान तथा उनके अधिवक्ता द्वारा सत्यापित समझौता आवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है। सूचक सहित किसी भी अभियोजन साक्षी नें अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी संख्या–03 जो सूचक है नें स्पष्ट रूप से कथित किया है कि उसकी बेटी निकाह के बाद अपने ससुराल में रहती थी। वहां सास–ससुर और शौहर से अच्छा रिश्ता था। वह अर्थात साक्षी वहां कभी–कभार जाती थी। जब भी वह जाती थी तो देखती थी कि उसकी बेटी अच्छे से रहती थी। उसके साथ दहेज के लिए मारपीट नहीं होता था और कोई शिकायत भी नहीं होता था। उसकी बेटी के मरने का खबर उसका दामाद सनउल्लाह किया। वह नहीं देखी कि उसकी बेटी को सनाउल्लाह मारा है कि नहीं, सुनी–सुनाई बात पर उसने केस किया था। मुकदमा के बाद उसे मालूम हुआ कि सनाउल्लाह और अन्य लोग गलत फंस गए है और निर्दोष हैं। जब यह बात मालूम हुआ तो इस मुकदमा में वह मेल–मिलाप कर ली कि कोई निर्दोष आदमी परेशान न हो। मेल का दरखास्त कोर्ट में दी है। राजी खुशी से मेल–मिलाप किये है। पढ़कर सुना दिया तब जाकर वह उस पर छाप दी है। थाना में जो दरखास्त दिये थे वह थानेदार टाईप किया था, उसमें क्या टाईप किया था, वह नहीं कह सकती है। उसका उसी थाना में अंगूठा का निशान ले लिया था। अभियोजन साक्षी संख्या 1 एवं अभियोजन साक्षी संख्या 2 नें अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथित किया है कि रेशमी प्रवीण की मॉ पड़ोस के लोगों के बहकावे में आकर गलत मुकदमा सनाउल्लाह व उसके परिवार पर कर दिया। इस घटना से सनाउल्लाह व उसके परिवार का कोई लेना–देना नहीं है और निर्दोष है। पी0डब्लू0–4 जो इस केस के अनुसंधानकर्ता हैं जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि वादिनी गवाहन एवं घटना

स्थल के निरीक्षण, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में आरोप पत्र समर्पित किया है जिसपर उन्होंने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया है तथा जिसे प्रमाणित करते हुए प्रदर्श–1 अंकित किया गया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि इन्होंने मृतिका की लाश कभी नहीं देखा है, सभी गवाहों का बयान उन्होंने थाना में बैठकर लिया है जिसपर कोई समय अंकित नहीं है। इन्होंने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने वाले का बयान नहीं लिया है साथ ही उसकी कोई प्रति अभिलेख के साथ संलग्न नहीं किया है। साक्षी नें आगे कथन किया है कि घटनास्थल से कोई भी रस्सी, फटठा या कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया है। अनुसंधानकर्ता का यह भी कथन है कि वह कभी घटना स्थल पर नहीं गया था और न ही किसी अभियुक्त को उसने गिरफतार किया है। उपरोक्त तथ्य से यह पाता हूं कि अनुसंधानकर्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण अनुसंधान किया गया है जो विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। पी0डब्लू0–5 जो चिकित्सक है तथा जिसने मृतिका का पोस्टमार्टम किया है, के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध विनिर्दिष्ट प्रकृति का आरोप साबित नहीं होता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा मृतिका की दहेज हत्या या हत्या कारित की गई थी। इस प्रकार अभियोजन इस वाद को युक्तियुक्ति संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रही है।

–: आदेश :–

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा सुलहनामा के परिशीलन व तार्किक विश्लेषण के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि अभियोजन काराधीन अभियुक्त 1. मो0 सनाउल्लाह, पे0– मो0 सनोवर, उम्र– 21 वर्ष (A1) के विरूद्ध धारा 304बी/34 एवं 302/34 भा0दं0सं0 के दण्डनीय अपराध के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। कार्यालय काराधीन अभियुक्त का मुक्ति आदेश अविलम्ब निर्गत करे तथा नियत समय के भीतर अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

sd/-

(शशि भूषण कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,
अररिया। दिनांक–08.06.2026

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, शुद्धिकृत करके खुले न्यायालय में उभय पक्षों की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(शशि भूषण कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,
अररिया। दिनांक–08.06.2026.